



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा, जिला अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :- राऋभमवि/अल/संस्थापन/2025/36

दिनांक:- 21/5/2025

ऑफलाईन निविदा सूचना

UBN

Supply and Intallation of Splitt AC at RRBMU Haldina Campus

राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान पर लगभग 04 AC(Air Conditioner) Supply and installation हेतु प्रतिष्ठित डीलरों/डिस्ट्रीबुटर/निर्माताओं आदि से AC खरीदने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिसके लिए खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट Website : www.rrbmuniv.ac.in एवं spps.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्णरूप से भरे हुए प्रपत्र दिनांक 29.05.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराने होंगे जिन्हें उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

District	Name of Work Package Nos	Estimated Cost of work (in Lacks)	Earnest Money	Last date for bid Submission on SPPP
1	2	3	4	5
Alwar	Supply and Intallation of Splitt AC at RRBMU Haldina Campus	3.00 Lakh	Rs 6000	29-05-2025 12:00 Noon

1. The Sale of tender document will start from 21-05-2025

2. Tender document can be obtained up to 11:00 AM.on 29-05-2025 from Raj Rishi Bhartihari Matsya University, Haldina, Alwar.

3. Tender will be received upto 12.00 PM. and on 29-05-2025. at RRBMU, Haldina, Alwar and will open at 03:00 PM in presence of committee on date 29-05-2025

4. Tender cost Rs 500 and earnest money Rs 6000/- will be accepted in form DD/ Banker Cheque in favour of Registrar, RRBMU, Alwar

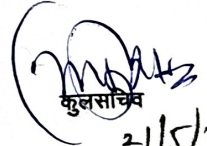
5. Competent authority reserve the right to cancel the tender without any reason.

6. RTTP Act, 2012 and RTTP Rule 2013 will be applicable on tenders.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

362-366

- श्रीमान वित्त नियंत्रक, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर राजस्थान।
- प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर को भेजकर लेख है कि खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट Website : www.rrbmuniv.ac.in एवं spps.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
- निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर।
- नोटिस बोर्ड जिला परिषद कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, नगर विकास न्यास अलवर, नगरनिगम अलवर।
- रक्षित प्रभावली।


कुलसचिव
21/5/2025


कुलसचिव

निविदा फार्म

प्रपत्र अ
(वित्तीय बिड)
लिफाफा नं.02

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम
2. फर्म/ एजेन्सी का पूरा पता
3. दूरभाष कार्यालय..... घर.....
4. फर्म का संगठन (एकल या साझेदारी में).....
5. आयकर (स्थायी खाता संख्या प्रति संलग्न करें).....
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या (प्रति संलग्न करें).....
7. बैंक का नाम.....
8. खाता संख्या.....

IFSC Code No.

9. निविदा की अनुमानित लागत : रु. 3.00 लाख
10. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 29-05-2025 को प्रातः 11.00 PM बजे तक
11. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 29-05-2025 को प्रातः 12 बजे
12. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 29.05.2025 को अपराह्न 3.00 PM बजे तक
13. निविदा प्रपत्र की कीमत :रु0 500/- नकद/DD/BC द्वारा : बोली प्रतिभूति राशि (2):रु. 6000/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स -चैक नंबर..... दिनांक.....
- 14- कार्यालय : RRBMU, Haldina ALWAR.

Rates for supply and installation of AC at RRBMU, Haldina, ALWAR:-

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	मूल दर (प्रति AC) बिना कर	GST (प्रतिशत में)	GST. राशि रु.	दर (प्रति AC GST सहित) (4+6) :-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	AC(02 Ton)	04				

✓

AC खरीदने हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें :-

- 1- लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु. 6000/- तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कराने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/-का DD/BC रजिस्ट्रार, राजर्षि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखे।
- 2- लिफाफा नं.02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये प्रति ए.सी. दरें रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
- 3- दोनो लिफाफा नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
- 4- निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यदेश/क्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- 5- निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
- 6- निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छॉट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
- 7- किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, राजर्षि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को होगा।
- 8- The tender must be submitted in proper sealed envelope duly marked tender for supply of Air Conditioner and installation.
- 9- AC specifications Annexure- I में अंकित है उन्ही के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
- 10- Rate should include all the applicable taxes/transportation charges etc.
- 11- In quotation also mention make and model of Air Conditioner along with brochure of specifications
- 12- The firm should have GST certificate and latest GST clearance certificate
- 13- The undersigned is not bound to accept the lowest quotation and reject any quotation or any part of the quotation without assigned any reason thereof.
- 14- No advance payment shall be made. Payment will be released after satisfactory report of the committee constituted at RRBMU ALWAR.
- 15- The material will be supplied within 10 days of work order.

- 16- The rate quoted must be for destination at RRBMU, Haldina ALWAR.
- 17- The responsibility of GST/ other charges, Tax etc applicable as per Govt. rule will be borne by the supplier.
- 18- Supply and complete installation will be the responsibility of firm. Quantity of AC may increase or decrease.
- 19- निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (एल.डी.) की जाएगी।
- 20- क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी।
- 21- सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय में सफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, रजिस्ट्रार, राजकृषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब (performance security) की जा सकेगी।
- 22- समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 29.05.2025 को प्रातः 11.00 AM बजे तक रजिस्ट्रार, राजकृषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय
- 23- अलवर से प्राप्त किये जाकर दिनांक 29.05.2025 को प्रातः 12.00 PM बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 29.05.2025 को सायं 3.00 PM बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोले जाएंगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 24- उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम- 68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानुसार लागू होगी।
- 25- दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- 26- राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियम के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।

निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के परिसम्पापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

- | | |
|---|-------|
| (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए | 2.50 |
| (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए | 5.00 |
| (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए | 7.50 |
| (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक तक के लिए | 10.00 |



- 27- निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार की महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र द भी संलग्न करेगा।
- 28- किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र स संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिताते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
- 29- निविदादाता समस्त करो को सम्मिलित करते हुये दरें RRBMU ALWAR प्रति देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 30- निर्धानित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र PAN, GST Registration Certificate और चुकता करने का प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतियाँ अवश्य संलग्न करे।
- 31- यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रुपये 1000 का DD/BC द्वारा अधिष्ठाता रजिस्ट्रार, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य महाविद्यालय अलवर अलग से लिफाफा नं. 01 में प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।
- 32- प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करे, इसके अभाव में निविदा अस्वीकार की जावेगी।
- 33- गत तीन वर्षों के औसत टर्न ओवर रु 15.00 लाख प्रपत्र (य) वाली फर्म इसके लिए पात्र रहेगी।
- 34- फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।
- 35- सफल निविदादाता को रु 500.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्चा सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
- 36- वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार:- बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,

अर्थात:-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

37- सत्यनिष्ठा संहिता- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति-

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्तवत इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह किया हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।



(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्थ के साथ किसी पूर्व नियमन को या किसी उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

37. हित का विरोध—

1. किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित विरोध ऐसी स्थिति को माना जाता है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

2. उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं:—

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तित्वां उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हो।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तित्वां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, पहिल में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक अस्तित्वां सहित अस्तित्वां का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

3. कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:—

(क) उनके समान नियंत्रक भीदार है।

(ख) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भा नहीं लेता हो।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों में बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंध है और नहीं संबंध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

38. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण— प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति,, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन/अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1. अपील— 1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 क अध्याधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-व) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में जहाँ वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वालो के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

2. उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

3. अधिकारी जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करे और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

4. यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या यथास्थिति उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

5. उप धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

6. अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा - सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

7. अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपादर्शित किया जाएगा।

8. उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

9. इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया - नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

10. कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - व) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय में सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्ये अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय हो होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचना बैंक के बैंक मांदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकरण के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी:-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील पक्षकारों की उक्त आदेश की प्रति निः शुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

39. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, राजन्रक्षि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को होगा।

40. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) होगा।

रजिस्ट्रार
, राजऋषि भर्तृहरी मत्स्य
महाविद्यालय अलवर

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ लिया है एवं समझ लिया है तथ मै/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



निविदाताओं द्वारा घोषणा

प्रपत्र- ब

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्रधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ /हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त **(forfeit)** किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



निविदाता के हस्ताक्षर

निविदाता द्वारा घोषणा

प्रपत्र-स

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी ए.सी. सप्लाय का कार्य किया है, उस आपूर्ति **sub-standard** में वित्त 3 वर्षों में आपूर्ति होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायलय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।



निविदादाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र

प्रपत्र - द

मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते है, कि हमने ए.सी. सप्लाई का कार्य जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को ए.सी. सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' or '2' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष

ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर

0

2021-22

2022-23

2023-24

योग

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष.....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

मोहर एवं दिनांक



(प्रमाणित)

हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

UDIN

Annexure-I

S.N	Name of Item	Specifications for split AC
1.	Air Conditioner	Capacity : 2 ton BEE Star rating : 3 star Technology : Inverter Material of condenser : Coper (Extra Copper wire per meter pay After 3 Meter). Warranty of compressor : Minimum Compressor Warranty 5 year Installation : With standard inst allation, core cutting stand, stabilizer MODEL-2024/2025 Includes installation with stand in various Rooms/Chambars RRBMU ALWAR.



Form No 1 (See rule 83 of RTTP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in public Procurement Act 2012

Appeal No..... of.....

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:

(I) Name of the appellant:

(II) Official Address, if any:

(III) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(I)

(II)

(III)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal(supported by an affidavit)

7. Prayer.....

Place:.....Date.....



Appellant's Signature